प्रेषक,

पी0 के0 पाण्डेय
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग
उ0प्र0,कानपुर।

**हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग** **लखनऊः दिनांकः 25 अक्टूबर, 2022**

**विषयः- पावरलूम उद्योग का विकास (एस0सी0पी0) योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1820/हक0-विकास/पावरलूम/2022-23 दिनांक 10.10.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत पावरलूम उद्योग का विकास योजनान्तर्गत 01 पावरलूम इकाई का रू0 3.10 लाख (रूपया तीन लाख, दस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं उसका वितरण किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में योजना के गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया गया है तथा योजना के अन्तर्गत केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ही लाभान्वित किया जायेगा। धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के मानकों व दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) जिस मद हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसका उपयोग/व्यय उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा। इससे इतर व्यय/उपयोग होने की दशा में विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगें।

(4) स्वीकृत धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज एवं उत्तर प्रदेश शासन को निर्धारित प्रपत्रों में यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) उक्त धनराशि व्यय करने में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07-06-2022 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) धनराशि का भुगतान सम्बन्धित लाभार्थी इकाईयों के खाते में सीधे किया जायेगा।

उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्षक-2851 ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-पावरलूम का विकास-27-सब्सिडी' के नामे डाला जायेगा।

**संलग्नक-यथोक्त।** (01 पावरलूम इकाई का विवरण)

भवदीय,

( पी0 के0 पाण्डेय )
संयुक्त सचिव।

**संख्या-14/2022/1178 (1)/63व0उ0-2022 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितिया एवं पंचायते, उ0प्र0 इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- अनु सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त ई-3 अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6- अनु सचिव, वित्त (बजट) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7- कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
8- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

( पी0 के0 पाण्डेय )
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।